

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024

दिनांक 14/09/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 13.09.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 148/2024 धारा 137(2)/87/64(1) BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 13.09.2024 को उ0नि0 दया राम मौर्य मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, रोकथाम जुर्म जरायम करते हुए क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 148/24 धारा 137(2)/87/64(1) BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. इमरान अंसारी पुत्र स्व0 इस्तियाक अंसारी नि0ग्राम चांदपुर थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को शेरमठ अण्डरपास से से समय 06.50 बजे बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.इमरान अंसारी पुत्र स्व0 इस्तियाक अंसारी नि0ग्राम चांदपुर थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 148/24 धारा 137(2)/87/64(1) BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर ।

02.थाना सैदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 190/2024 धारा308(5)/115(2)/351(3)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 13.09.2024 उ0नि0 कौशलेश शर्मा मय हमराह के बहरियाबाद ओवर ब्रिज हाइवे के पास से मु0अ0सं0-190/2024 धारा 308(5)/115(2)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश पुत्र खुशदिल गौतम निवासी चुमकुनी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष को एक चार पहिया वाहन सुजुकी प्रांक्स वाहन सं0- UP 65 EY 7538 , 1200 रुपये मालमुकदमाती व एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन साथ समय करीब 03.50 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। थाना सैदपुर पर मु0अ0सं0- 190/2024 धारा 308(5)/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत है । तथा बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस कि बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कि जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.आकाश पुत्र खुशदिल गौतम नि0 चुमकुनी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 190/2024 धारा 308(5)/115(2)/351(3)/317(2) बीएनएस थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर ।

बरामदगी –

अभियुक्त के पास से एक चार पहिया वाहन सुजुकी प्रांक्स वाहन सं0- UP 65 EY 7538 , 1200 रुपये मालमुकदमाती व एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन ।

03. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 13.09.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-200/2016 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त 1. सत्यम उर्फ अनिल पुत्र प्यारे लाल विश्वकर्मा निवासी तिरगांवा महमदपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 10000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया।

**पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर**